

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 11, सोमवार, शके 1948- जून 01, 2026 Jyaistha 11, Monday, Saka 1948- June 01, 2026	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 01, 2026

संख्या डी - 845 एफ 3(1)(1)सामान्य-।/निर्वा/2026/- विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) भारत सरकार की दिनांक 01 जून, 2026 की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित की जाती है।

नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 01 जून, 2026
ज्येष्ठ 11, 1948 (शक)

अधिसूचना

का.आ.....(अ).-- राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्यों को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :-

सारणी

क्रम सं.	राज्य का नाम	भरे जाने वाले सीटों की संख्या	पदावधि के अवसान की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश	4	

2.	गुजरात	4	21.06.2026
3.	झारखण्ड	2	
4.	मध्य प्रदेश	3	
5.	मणिपुर	1	
6.	मेघालय	1	
7.	राजस्थान	3	23.06.2026
8.	अरुणाचल प्रदेश	1	
9.	कर्नाटक	4	
10.	मिजोरम	1	19.07.2026

[फा.सं.एच-11024/4/2026-वि.02]

अकाली वी.कोंघे,
संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 01st June, 2026
Jyaistha 11, 1948 (Saka).

NOTIFICATION

S.O..... (E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of members specified against each State in column (3) of the said table, for the purpose of filling the seats of members of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said table, on the expiration of their term of office: -

Table

Serial number	Name of State	No. of seats to be filled	Date of expiry of term of office
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Andhra Pradesh	4	21.06.2026
2	Gujarat	4	
3	Jharkhand	2	
4	Madhya Pradesh	3	
5	Manipur	1	

6	Meghalaya	1	
7	Rajasthan	3	
8	Arunachal Pradesh	1	23.06.2026
9	Karnataka	4	25.06.2026
10	Mizoram	1	19.07.2026

[F.No.H-11024/4/2026-Leg.II]

Akali V. Konghay,
Joint Secretary & Legislative Counsel.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।